संख्या-02/2020/13/71-4-2020-जीएन-20/2017

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर,
शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 13 जनवरी, 2020

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची के उपकरणों के क्रय किये जाने एवं प्रश्नगत उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु रू0 12,75,98,400/- लाख (रूपया बारह करोड़ पचहत्तर लाख अट्ठानवे हजार चार सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- एस0एस0पी0एच0पी0जी0टी0आई0/निदे0/2019/293, दिनांक 27-12-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर, शैक्षणिक संस्थान, नोएडा में विभिन्न विभागों में उपकरणों के क्रय हेतु मानक मद-26 मशीने सज्जा/उपकरण संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपकरणों की कुल लागत रू0 12,75,98,400/- लाख (रूपया बारह करोड़ पचहत्तर लाख अट्ठानवे हजार चार सौ मात्र) के उपकरण क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर, शैक्षणिक संस्थान, नोएडा हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची के उपकरणों की क्रय किये जाने एवं प्रश्नगत उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु रू0 12,75,98,400/- लाख (रूपया बारह करोड़ पचहत्तर लाख अट्ठानवे हजार चार सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही संबंधित उपकरणों के नियमानुसार पारदर्शितापूर्वक क्रय की कार्यवाही संस्थान स्तर से की जाएगी। सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना निदेशक एवं वित्त अधिकारी का दायित्व होगा।
2. धनराशि का आहरण तभी किया जाएगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।
3. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में नहीं रखा जायेगा।

4. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
5. उपकरणों का क्रय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 उ0प्र0 प्रक्योरमेन्ट मैनुअल एवं उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले क्रय संबंधी आदेशों में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा। भण्डार क्रय संबंधी नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी /संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।
7. प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।
8. संबंधित उपकरण/संयंत्र की क्रय प्रक्रिया में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेन्डरिंग प्रणाली से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. क्रय किये जाने वाले उपकरण चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत उपकरणों के क्रय संबंधी विभिन्न शासनादेशों के अनुसार ही उपकरण क्रय किये जाएगें।
10. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जाएगा।
11. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र(क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
12. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ संबंधित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियां न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों का यथासम्भव समावेश किया जाए।
13. वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत-सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
14. निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए
15. प्राइज जस्टीफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना निदेशक/वित्त अधिकारी/विभागाध्यक्ष/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी। उपकरणों के अनुरक्षण्, अधिष्ठापन आदि तथ्यों का नियमानुसार प्रक्रियात्मक अनुपालन किया जाय।
16. संस्थान के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उपकरणों का क्रय किये जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणो का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
17. उक्त उपकरणों का क्रय किये जाने के संबंध में समस्त औपचारिताएं नियमानुसार पूर्ण किये जाने के पश्चात, यदि उपकरण क्रय के पश्चात धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने वाले अन्य उपकरण में तद्नुसार समायोजित किया जाएगा।
18. क्रय किये जाने वाले उपकरणों की कुल लागत स्वीकृति धनराशि रू0 12,75,98,/400- (रूपया बारह करोड़ पचहत्तर लाख अट्ठानवे हजार चार सौ मात्र) की सीमा के अन्तर्गत ही होगी और संस्थान की विभागवार अति आवश्यकता एवं एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार ही उपकरणों का क्रय सुनिश्चित किया जाएगा।

19. भविष्य में ऐसे प्रकरणों में समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जाएगी, जिससे जिस वित्तीय वर्ष में धनराशि अवमुक्त की जाए, उसी वित्तीय वर्ष में उसका व्यय सुनिश्चित किया जाए।
20. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रहीं है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी।
21. धनराशि को व्यय किये जाने के पूर्व वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं , स्नातकोत्तर एवं शैक्षणिक संस्थान द्वारा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा शीर्षक "4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-ऐलोपैथी-70- सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर, शैक्षणिक संस्थान, 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-02/2020/13(1)/71-4-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तरनशैक्षणिक संस्था ,, नोएडा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।